6/25

आज पत्रावली वकीलवार्ड के प्रार्थनापत्र पर पेश हुई वकीलवार्ड द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है कोई विवाद अब शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थनापत्र दावा इसी स्तर पर विड्रो किया जाकर खारिज किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र 023 R CPC स्वीकार करते हुए दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के कमरे हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
माधो (सीकर) राज.